विधान परिषद के प्रथम सत्र-2025 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0-*18 उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
18 (क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद-हरदोई के ग्राम-रायपुर परगना व तहसील सण्डीला में विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण किसानों के आम के बाग जलने की कितनी घटनाएँ वर्ष 2023, 2024 में हुयी है?	वर्ष 2023 व 2024 में विद्युत वितरण खण्ड-सण्डीला, हरदोई क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रायपुर, विकास खण्ड कोथावां, जनपद हरदोई में आम के बाग में विद्युत अग्निकाण्ड का मात्र 01 प्रकरण विद्युत वितरण कार्यालय को प्राप्त हुआ है।
(ख) किन-किन प्रभावित किसानों के द्वारा कब-कब क्षतिपूर्ति की माँग की गयी है?	ग्राम रायपुर, विकास खण्ड कोथावां, जनपद हरदोई में मात्र 01 किसान श्री आयुष सिंह राठौर पुत्र श्री धर्मेन्द्र सिंह के आम के बाग में दिनांक 24.05.2023 को घटित विद्युत अग्निकाण्ड के सापेक्ष अनुग्रह धनराशि प्राप्त करने हेतु आवेदन खण्ड कार्यालय को प्राप्त हुआ है।
(ग) प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति की धनराशि कब प्रदान कर दी गयी है?	उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी, हरदोई के अनुमोदनोपरान्त दिनांक 29.11.2024 को अनुग्रह धनराशि रु० 30000/- (रू० तीस हजार मात्र) का भुगतान यू०टी०आर० सं०-SGBO291124023820 के द्वारा श्री आयुष सिंह राठौर पुत्र श्री धर्मेन्द्र सिंह के बैंक खाता सं०-40780198560 में एन०ई०एफ०टी के माध्यम से कर दिया गया है।
(घ) यदि नहीं, तो क्षतिपूर्ति समय से न प्रदान किए जाने के क्या कारण है?	प्रश्न नहीं उठता।
(ङ.) प्रभावित किसानों को कब तक क्षतिपूर्ति की धनराशि उपलब्ध करायेंगे?	प्रश्न नहीं उठता।

ए. के. शर्मा
ऊर्जा मंत्री।